पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 2016 ई0 (चैत्र 06, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–13

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	185–202	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	57	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	73–101	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

संख्या–197 / 16 / XIX-1 / 77 / 2008

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नियन्त्रक,
विधिक माप विज्ञान,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–1 दिनांक देहरादून 25 फरवरी, 2016

विषय– खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन विधिक माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड का विभागीय ढांचा एवं ग्रेड वेतन संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश सं0–1145 / XIX-1 / वि0 ढांचा / 06–132 / 2002, दिनांक 14–09–2006 एवं आपके पत्र सं0 94 / नि0वि0मा0 / विभागीय ढांचा–2015–16, दिनांक 30–05–2015 के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन विविध माप विज्ञान विभाग, उत्तराखण्ड का विभागीय ढांचा निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

वर्तमान पदनाम एवं वेतनमान	पूर्व में सृजित पदों की संख्या	संशोधित पदनाम / वेतनमान / ग्रेड वेतन	अतिरिक्त सृजित प्रस्तावित पदों की संख्या	कुल सृजित पदों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
नियन्त्रक पी0सी0एस0 संवर्ग से	01	आई0ए0एस0 / पी0सी0एस0 संवर्ग से	–	01	–
उप नियन्त्रक ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600	01	उप नियन्त्रक ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600	–	01	–

1	2	3	4	5	6
निरीक्षक ₹ 5200–20200 ग्रेड वेतन ₹ 2800	16	निरीक्षक ₹ 9300–34800 ग्रेड वेतन ₹ 4200	3	19	संभाग स्तर पर स्थापित प्रयोगशाला हेतु 01–01 पद तथा 01 पद मुख्यालय हेतु
वरिष्ठ निरीक्षक ₹ 9300–34800 ग्रेड वेतन ₹ 4200	13	वरिष्ठ निरीक्षक ₹ 9300–34800 ग्रेड वेतन ₹ 4600	–	13	–
सहायक नियन्त्रक ग्रेड–02 ₹ 9300–34800 ग्रेड वेतन ₹ 4200	01	सहायक नियन्त्रक ग्रेड–01 एवं ग्रेड–02 के पद को समाप्त करते हुए सहायक नियन्त्रक ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400	02	04	राज्य के 04 बड़े जनपदों यथा–देहरादून, हरिद्वार ऊधमसिंह नगर एवं नैनीताल हेतु
सहायक नियन्त्रक ग्रेड–01 ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400	01				

2–इस सम्बन्ध में, शासनादेश, दिनांक 14–09–2006 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष यथावत रहेगा तथा यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

3–यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–208/XXVII(7) 2016, दिनांक 23–02–2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

विविध

15 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 140/2016/27(100)/XXVII(8)/09–श्री राज्यपाल महोदय "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय में विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके, उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016

भाग एक–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली, 2016 है।
(2) यह तुरन्त लागू होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली एक ऐसी सेवा है, जिसमें समूह 'क' एवं समूह 'ख' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में:–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो 'भारत का संविधान' के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाय;

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(छ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन स्थाई रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड प्रान्तीय राजस्व सेवा (कर) नियमावली अभिप्रेत है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है,जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से किसी कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो–संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. **(1)** सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाये, उतनी होगी, जितनी इस नियमावली के परिशिष्ट में दी गई है,

परन्तु यह कि:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकेंगे जिससे कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा;

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. **(1)** सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(क) सहायक आयुक्त:–

(एक) 50 प्रतिशत आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) 50 प्रतिशत, मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे वाणिज्य कर अधिकारियों में से, जिन्होनें भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, लोक सेवा आयोग के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(ख) उपायुक्त:–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक आयुक्तों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में कम से कम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(ग) संयुक्त आयुक्त:–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उपायुक्तों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर, विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा।

(घ) अपर आयुक्त:–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त आयुक्तों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में 03 वर्ष की सेवा एवं सहायक आयुक्त संवर्ग में कुल 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ङ) अपर आयुक्त(विशेष वेतनमान):–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर आयुक्तों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में 02 वर्ष की सेवा एवं सहायक आयुक्त संवर्ग में कुल 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यह कि सरकार विशेष परिस्थितियों में कारण बताते हुए अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) पद पर पदोन्नति के लिए नियत सेवा अवधि को शिथिल कर सकती है।

(च) सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण:–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर आयुक्तों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में 02 वर्ष की सेवा एवं सहायक आयुक्त संवर्ग में कुल 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यह कि सरकार विशेष परिस्थितियों में कारण बताते हुए अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) पद पर पदोन्नति के लिए नियम सेवा अवधि को शिथिल कर सकती है।

(छ) अपर सचिव:– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर आयुक्तों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में 02 वर्ष की सेवा एवं सहायक आयुक्त संवर्ग में कुल 24 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, विभागीय चयन समिति के माध्यम से, योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा:

परन्तु यह कि सरकार विशेष परिस्थितियों में कारण बताते हुए अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) पद पर पदोन्नति के लिए नियम सेवा अवधि को शिथिल कर सकती है।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–अर्हता

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के आशय से 01 जनवरी,1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिये पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित हो तो पात्रता प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के

आगे उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर ही सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणीः– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न ही देने से इनकार किया गया हो,उसे परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता

8. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसे देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए।

अधिमानी अर्हता

9. ऐसे अभ्यर्थी को, अन्य बातों के समान होते हुए भी, सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा,जिसने–

(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बाते समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–107/XXX-(2)/2004-55(41)/2004, दिनांक 25.02.2014 के अनुसार, लोक सेवा आयोग द्वारा जिस कैलेण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जायें उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए; परन्तु यह कि उक्त संशोधन से पूर्व जारी विज्ञापनों में आयु सीमा यथावत् रहेगी:

परन्तु, यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यार्थियों की स्थिति में, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

11. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो,जिसकी पहले से कोई जीवित पत्नी हो; सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र न होगी:

परन्तु यह कि यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दें सकेगी (मुक्त कर सकेगी)।

शारीरिक योग्यता

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने

कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में हस्तक्षेप की सम्भावना हो।
किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अनुमोदित करने से पूर्व उससे–
(क)राजपत्रित पद या सेवा के मामलें में आयुर्विज्ञान परिषद की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,

(ख) सेवा में अन्य पदों के मामले में,उससे वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा:

परन्तु पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग पांच–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली पदों की संख्या और इस नियमावली के नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. **(1)** सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने की अनुमति के लिये आयोग विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र मंगायेगा। आवेदन पत्र भुगतान पर आयोग के सचिव से प्राप्त किए जा सकेंगे।

(2) आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और उनके सारणीबद्ध करने के पश्चात् आयोग द्वारा, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलाया जायेगा, जिन्होनें इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा नियत मानक के अनुसार अंक प्राप्त किये हों। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंक, उसके द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे।

(4) आयोग, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों से प्रकट प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा और नियुक्ति के लिये उन अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा, जिन्हें वह नियुक्ति के योग्य समझता है। यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर हों,तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नाम, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होंगे। आयोग द्वारा सूची नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

टिप्पणी– प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम और नियम आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16. **सहायक आयुक्त**–
सहायक आयुक्त के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली,2003 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

17. **(1) उपायुक्त एवं संयुक्त आयुक्त**–उपायुक्त एवं संयुक्त आयुक्त के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी। चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगाः–

(क) वित्त विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव या सचिव अध्यक्ष
(ख) कार्मिक विभाग में सरकार के, यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव अथवा उनका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जो अपर सचिव से निम्न स्तर का न हो– सदस्य
(ग) आयुक्त कर, उत्तराखण्ड– सदस्य

(2)अपर आयुक्तः–अपर आयुक्त के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती, 'योग्यता' के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी। चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगाः–
(क) वित्त विभाग में सरकार के प्रमुख सचिव या सचिव अध्यक्ष
(ख) कार्मिक विभाग में सरकार के, यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य
(ग) आयुक्त कर, उत्तराखण्ड– सदस्य

(3) अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान), सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण एवं अपर सचिव–अपर आयुक्त(विशेष वेतनमान), सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण तथा अपर सचिव के पद पर पदोन्नति योग्यता के आधार पर चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी। चयन समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगाः–
(क) सरकार के मुख्य सचिव– अध्यक्ष
(ख) वित्त विभाग में सरकार के, यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव– सदस्य
(ग)कार्मिक विभाग में सरकार के, यथास्थिति प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य

संयुक्त चयन सूची

18. यदि किसी वर्ष नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति, दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से अभ्यर्थियों के नाम ऐसे चक्रानुक्रम में लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–छः–नियुक्ति,परिवीक्षा,स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19. (1) उपनियम(2) के अध्यधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम से लेकर, जिसमें उनके नाम नियम 15, 16, 17, अथवा 18 में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति उत्तराखण्ड (लोक सेवा

आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 2003 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 एवं इस सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य नियमावली के अनुसार की जायेगी।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी है तो नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 23 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये गये हों तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर अथवा उस क्रम में यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है,किया जायेगा। यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो प्रकार से की जाती है तो नाम नियम 23 मे निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम (1) में निर्दिष्ट सूचियों से अस्थाई या स्थानापन्न रूप में भी नियुक्तियां कर सकता है। यदि उन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्तियों पर इन नियमों के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों में से नियुक्तियां कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अधिक अवधि या उस नियमावली के अधीन अगले चयन किये जाने तक, इनमें से जो भी पहले हो,नहीं की जायेगी और जहां पद आयोग के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहां उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 2003 के विनियम 5 के खण्ड (क) के प्राविधान लागू होंगे।

परिवीक्षा

20. (1) सेवा में किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से,जो अभिलिखित किये जायेंगे, पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुये, जब तक अवधि बढायी गयी है, परिवीक्षा की अवधि बढा सकता है;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा–अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है, या अन्यथा समाधान प्रदान करने में वह असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है,प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नही है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी

हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी, परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु, उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से प्रदान की गयी हो।

प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा

21. इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पश्चात सीधी भर्ती किये गये सभी अभ्यर्थियों से परिवीक्षा अवधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने और ऐसी परीक्षा देने की अपेक्षा की जायेगी, जैसी विहित की जायें।

स्थायीकरण

22. (1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर अपने पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित हो, तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है, वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए पारित आदेश, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

23. (1) किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता, उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता, नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किए गये हों:

परन्तु, यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया गया हो, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायेगा तथा अन्य मामलों में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा;

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाते हैं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 24 के उपनियम(3) के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) किसी एक चयन के परिणाम स्वरूप सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो, यथास्थिति, आयोग या चयन समिति द्वारा अवधाारित की जाय;

परन्तु, यह कि यदि सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी पद का प्रस्ताव किये जाने पर बिना वैध कारणों से कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहता है तो वह अपनी ज्येष्ठता खो सकता है। कारणों की वैधता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके उस संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है।

(4) जहां नियुक्ति पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों ही प्रकार से अथवा एक से अधिक स्रोत द्वारा की जाय और प्रत्येक स्रोत का पृथक–पृथक कोटा विहित हो, वहॉ उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 23 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त चयन सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जायेगी कि विहित प्रतिशत बना रहे; परन्तु उपबन्ध यह है कि:–

(एक) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से अधिक की जाये, वहां कोटे से अधिक नियुक्त किये गये व्यक्तियों की ज्येष्ठता ऐसे अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में, जिनमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे कर दी जायेगी।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जायें और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षो में की जाये, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष में उनकी नियुक्ति की जाये, किन्तु इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची में उनके नाम चक्रीय क्रम में उनके बाद नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के नाम से ऊपर रखे जायेंगे।

(तीन) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से न भरी जाने वाली रिक्तियां, सुसंगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में, अन्य स्रोत से की जायें और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियां की जायें, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष विशेष की ज्येष्ठता दी जायेगी, मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्ध की गयी हो।

भाग–सात–वेतन इत्यादि

वेतनमान

24. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर, चाहें मौलिक या स्थानापन्न रूप से हों या अस्थाई आधार पर, नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाये।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त सेवा के वेतनमान परिशिष्ट **'क'** में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

25. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन में वेतन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा–अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर लिया गया हो:

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की

गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा–अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा–अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत् सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–आठ–अन्य प्राविधान

अधियाचन

26. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों और विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते हों, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से संबंधित सेवारत् सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगें।

सेवा शर्तो का शिथिलीकरण

28. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी, जो वह मामले के संबंध में न्यायोचित तथा साम्यता पूर्वक कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे:

परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा।

व्यावृत्ति

29. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय– समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबंध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[नियम 4(1) एवं 4(2) देखिये]

क्र.	पद नाम	वेतनमान			स्थाई पदों की संख्या	अस्थाई पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या
		वेतन बैंड /वेतनमान का नाम	वेतन बैंड/ वेतनमान	ग्रेड वेतन			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सहायक आयुक्त	वेतन बैंड–3	15600–39100	5400	56	49	105
2.	उप आयुक्त	वेतन बैंड–3	15600–39100	6600	35	17	52
3.	संयुक्त आयुक्त	वेतन बैंड–3	15600–39100	7600	10	04	14
4.	संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण)	वेतन बैंड–3	15600–39100	7600	00	01	01
5.	अपर आयुक्त	वेतन बैंड–4	37400–67000	8900	03	02	05
6.	अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान)	वेतन बैंड–4	37400–67000	10000	00	01	01
7.	सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण	वेतन बैंड–4	37400–67000	10000	01	00	01
8.	अपर सचिव	वेतन बैंड–4	37400–67000	10000	00	01	01
	योग				105	75	180

आज्ञा से,

अमित नेगी
सचिव।

वित्त अनुभाग–9

विज्ञप्ति/पदोन्नति

18 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 38/XXVII(9)–2016/मनो0कर–39/2008–तात्कालिक प्रभाव से मनोरंजन कर विभाग, उत्तराखण्ड में चयन वर्ष 2015–16 में उपलब्ध उपायुक्त, मनोरंजन कर वेतनमान ₹ 15,600–39,100 ग्रेड वेतन ₹ 6600/– के रिक्त 03 पदों के सापेक्ष श्री विनोद प्रकाश रावत, सहायक आयुक्त, मनोरंजन कर देहरादून को नियमित चयनोपरान्त पदोन्नत करने के साथ ही 02 वर्ष की परिवीक्षा में रखते हुए उपायुक्त मनोरंजन कर मुख्यालय, देहरादून में तैनात किया जाता है तथा उपायुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी का कार्यभार अतिरिक्त रूप में प्रदान किया जाता है।

कार्यालय आदेश

18 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 39/XXVII(9)/2016/मनो0कर–39/2008–तात्कालिक प्रभाव से श्री सत्ये सिंह बिष्ट, जिला मनोरंजन कर अधिकारी, पौड़ी को निम्नानुसार तैनात किया जाता है :–

क्र0सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	अभ्युक्ति
1.	श्री सत्ये सिंह बिष्ट	जिला मनोरंजन कर अधिकारी, पौड़ी	जिला मनोरंजन कर अधिकारी, देहरादून	श्री विनोद प्रकाश रावत के पदोन्नति के उपरान्त राजस्व हित को दृष्टिगत रखते हुए रिक्त पद के सापेक्ष

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

वित्त अनुभाग–8

कार्यालय–ज्ञाप

23 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 173/2016/XXVII(8)/45(100)/2005–तत्काल प्रभाव से श्री नारायण सिंह पांगती, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर को सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, हल्द्वानी पीठ, वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000 के रिक्त पद पर पदोन्नत करते हुए एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने पदोन्नति/तैनाती के स्थान पर योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

कार्यालय–ज्ञाप

23 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 174/2016/XXVII(8)/45(100)/2005–तत्काल प्रभाव से श्री पीयूष कुमार, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर मुख्यालय को वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान), वाणिज्य कर मुख्यालय, देहरादून, वेतनमान ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 10,000 के रिक्त पद पर पदोन्नत करते हुए एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

2. उक्त पदोन्नत अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने पदोन्नति के पद पर योगदान आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

अमित सिंह नेगी,

सचिव, वित्त।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 मार्च, 2016 ई0

संख्या 222/XXXI(4)16–06(विविध)2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री दिनेश चन्द्र गैरोला, वरिष्ठ निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त प्रमुख निजी सचिव वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600/– के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए उक्त पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–श्री दिनेश चन्द्र गैरोला अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

3–उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम से निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 मार्च, 2016 ई0

संख्या 223/XXXI(4)16–06(विविध)2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री विष्णु दत्त भट्ट, निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ निजी सचिव वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600/– के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत करते हुए उक्त पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–श्री विष्णु दत्त भट्ट अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात रहेंगे तथा अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे।

3–उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम से निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

आर0 के0 सुधांशु,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग–1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

24 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 327/II–2016–01(29)(18)–2011/2013–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर चयन वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति से सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 300/30/ई–1/डी0पी0सी0/2015–16, दिनांक 10–12–2015, द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल) वेतनमान ₹ 15600–39100 एवं सादृश्य ग्रेड पे ₹ 5400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

डिप्लोमाधारी संवर्ग–

क्र0 सं0	नाम	अभ्युक्ति
1.	श्री पवन कुमार सिलवाल	श्री रघुवर सिंह भण्डारी, सहायक अभियन्ता के दिनांक 29–02–2016 को होने वाले सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष।

2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

4. उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1782/एस0एस0/2012, अवनीश भटनागर व अन्य बनाम राज्य पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

25 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 335/II–2016–01(84)/2003 T.C.-I–सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित कार्मिकों को मुख्य अभियन्ता स्तर–2, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, सदृश्य ग्रेड वेतन ₹ 8,900, के पद पर नियमित पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. श्री राजेन्द्र चालिसगांवकर,
2. श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता,
3. श्री नन्द किशोर शर्मा,
4. श्री सुभाष मित्रा

2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

उक्त आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 16718–19/2014, आर0 आर0 भट्ट बनाम रमेश चन्द्र सक्सेना एवं अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

25 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 336/II–2016–01(84)/2003 T.C.-I–रिट याचिका संख्या 159/एस0बी0/2014, उमेश कुमार बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–09–2015, के अनुपालन में श्री उमेश कुमार सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के पद पर प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उक्त पदोन्नति आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 16718–19/2014, आर0 आर0 भट्ट बनाम रमेश चन्द्र सक्सेना एवं अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

25 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 337/II–2016–01(84)/2003 T.C.-I–रिट याचिका संख्या 159/एस0बी0/2014, उमेश कुमार बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–09–2015 के अनुपालन में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित कार्मिकों को मुख्य अभियन्ता स्तर–2, वेतनमान ₹ 37400–67000, सदृश्य ग्रेड वेतन ₹ 8900 के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. श्री ऋषि राम भट्ट,
2. श्री वी0 के0 पंत

2. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

उक्त आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 16718–19/2014, आर0 आर0 भट्ट बनाम रमेश चन्द्र सक्सेना एवं अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
सचिव।

वित्त अनुभाग–6

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

20 फरवरी, 2016 ई0

संख्या 25–XXVII(6)/नौ/115/2005/2016–वित्त विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तराखण्ड वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारी श्री महावीर सिंह बिष्ट, वित्त नियंत्रक, दिनांक 30–06–2016 को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त जो जायेंगे।

अभिषेक स्वामी,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/118–भाग 1–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 2016 ई0 (चैत्र 06, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

March 02, 2016

No. 38/XIV-2/Admin.A/2008--Sri Pradeep Kumar Mani, Joint Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 04 days *w.e.f.* 22-02-2016 to 25-02-2016 with permission to prefix recess period *w.e.f.* 16-02-2016 to 21-02-2016 for the purpose of L.T.C.

NOTIFICATION

March 02, 2016

No. 39/XIV/50/Admin.A--Sri Pradeep Pant, Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 03 days *w.e.f.* 22-02-2016 to 24-02-2016 with permission to prefix recess period *w.e.f.* 16-02-2016 to 21-02-2016 for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
D.P. GAIROLA
Registrar General.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट / 118–भाग 1–क–2016 (कम्प्यूटर / रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 2016 ई0 (चैत्र 06, 1938 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, मुनिकीरेती–ढालवाला, टिहरी गढ़वाल

सार्वजनिक सूचना

09 मार्च, 2016

पत्रांक 868/न0ठो0अ0प्र0 उपविधि–2014/2015–16–नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती–ढालवाला, टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298, उपधारा–2 खण्ड–(झ) (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2014 बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही है।

अतः समाचार पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2014

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ–

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती–ढालवाला की ''नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2014'' कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती–ढालवाला, टिहरी गढ़वाल के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
4. परिभाषायें–
   (i) ''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।
   (ii) ''उपविधि'' से तात्पर्य नगर पालिका, अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से है।

(iii) "नगर पालिका" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड–7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पालिका से है।

(iv) "अधिशासी अधिकारी" से तात्पर्य नगर पालिका, अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(v) "सफाई निरीक्षक" से तात्पर्य निकाय में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध होने की स्थिति में निकाय के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(vi) "निरीक्षण अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी हैं जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।

(vii) "नियम" से तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

(viii) "अधिनियम" से तात्पर्य (उत्तर प्रदेश)/उत्तराखण्ड, नगर पालिका, अधिनियम से है।

(ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट" (biodegrabable waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

(x) "जीव अनाशित अपशिष्ट" (Non-biodegrabable waste) का तात्पर्य ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं हैं और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।

(xi) "पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट" (recyclable waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे–प्लास्टिक, पॉलिथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट" (biomedical waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जिसका जनन मानवों व पशुओं से रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(xiii) "संग्रहण" (collection) से तात्पर्य अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(xiv) "कचरा खाद बनाने" (composting) से एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट" (demolition and construction waste) से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

(xvi) "व्ययन" (disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(xvii) "भूमिकरण" (landfilling) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग से खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृन्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमो के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है।

(xviii) "निक्षालितक" (leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

(xix) ''नगर पालिका प्राधिकारी'' (municipal authority) में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद् जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्यस्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xx) ''स्थानीय प्राधिकारी'' (local authority) का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पालिका, क्षेत्र पालिका या ग्राम पालिका से है।

(xxi) ''नगरीय ठोस अपशिष्ट'' (municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) ''सुविधा के परिचालक'' (operator of facility) से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। ''प्रसंस्करण'' से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xxiii) ''पुनः चक्रण'' (recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(xxiv) ''पृथक्करण'' (segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत हैं।

(xxv) ''भण्डारण'' (storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों से अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvi) ''परिवहन'' (transportation) से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

5. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरें में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पालिका, के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पालिका के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिये जायेंगे।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव ना हो तो नगर पालिका, से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (hazaradous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम–1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।

14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगर पालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

15. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना रु0 5/– को पूर्णांक में की जायेगी।

16. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (user charges) बोर्ड बैठक दिनांक 22–09–2014 द्वारा निर्धारित

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) की प्रस्तावित राशि रु0 में
1	2	3
1.	कम आय वाले घर (बी0पी0एल0 कार्ड धारक के अतिरिक्त रु0 5000.00 प्रतिमाह तक आय वाले घर)	रु0 10.00
2.	मध्यम आय वाले घर (रु0 5000.00 से अधिक रु0 10000.00 तक प्रतिमाह आय वाले घर)	रु0 20.00
3.	उपरोक्त के अतिरिक्त घर	रु0 30.00
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी में रु0 5.00 प्रतिदिन दुकान/फड़ पर रु0 100.00 प्रतिमाह
5.	रेस्टोरेन्ट	छोटे रु0 200, मध्यम रु0 300 तथा बडे रु0 1000 प्रतिमाह
6.	होटल/लॉजिज/गेस्ट हाऊस	20 बैड तक रु0 100/– 21 बैड से 40 बैड तक रु0 200/– एवं 41 से अधिक बैड तक रु0 300/– प्रतिमाह
7.	आश्रम/अखाड़ा	20 बैड तक रु0 50/– प्रतिमाह , 21 बैड से 40 बैड तक रु0 100/– प्रतिमाह एवं 41 से अधिक बैड तक रु0 200/– प्रतिमाह, तथा भण्डारा/उत्सव आयोजन रु0 500/– प्रति।

8.	धर्मशाला	रु0 01.00 प्रति कमरा प्रतिमाह
9.	बारातघर (चेरिटेबल) (नान–चेरिटेबल)	रु0 200.00 प्रति उत्सव, रु0 500.00 प्रति उत्सव
10.	बैकरी	रु0 100.00 प्रतिमाह
11.	कार्यालय	50 कर्मचारियों तक रु0 100.00, 51 कर्मचारियों से 100 तक रु0 200.00, 101 से 300 तक रु0 300.00 एवं उससे अधिक पर रु0 500.00 प्रतिमाह
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	100 बैड तक के लिए रु0 1000.00 प्रतिमाह उससे अधिक रु0 10.00 प्रति बैड अतिरिक्त
13.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	500 विद्यार्थियों तक रु0 500.00 उससे अधिक रु0 1000.00 प्रतिमाह
14.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बैड तक रु0 250.00, 21 बैड से 40 बैड तक रु0 500.00, 41 बैड से 100 बैड तक रु0 1000.00, उससे अधिक रु0 1500.00 प्रतिमाह
15.	क्लीनिक/पैथोलॉजी	क्लीनिक रु0 75.00, पैथोलॉजी रु0 200.00 प्रतिमाह
16.	दुकान/चाय की दुकान	मौहल्ले की छोटी दुकान रु0 20.00, बाजार की दुकान रु0 50.00, शोरूम रु0 100.00, छोटे मॉल रु0 500.00, बहुमंजिले मॉल रु0 1000.00, प्रतिमाह अपने मकान के कमरे में खुली छोटी दुकान निःशुल्क
17.	फैक्ट्री	छोटी रु0 300.00, मध्यम रु0 500.00, बडी रु0 1000.00 प्रतिमाह
18.	वर्कशॉप	छोटी रु0 200.00, बडी रु0 500.00 प्रतिमाह
19.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	रु0 5.00 प्रतिदिन
20.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	रु0 300.00, होटलों में विवाह रु0 1000.00 प्रति उत्सव
21.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	0.50 घन मी0 तक रु0 100.00, 1.0 घन मी0 तक रु0 200.00, 3.0 घन मी0 तक रु0 500.00, 6.0 घन मी0 तक रु0 1000.00 इससे अधिक प्रति घन मी0 रु0 100.00 अतिरिक्त।
22.	कबाडी	छोटे रु0 100.00, बडे रु0 300.00 प्रतिमाह।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–299 (1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रु0 5000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तरण किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रु0 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती–ढालवाला टिहरी गढ़वाल में अन्तिम रूप में निहित होगा।

बी0पी0 भट्ट,
अधिशासी अधिकारी।

शिवमूर्ति कण्डवाल,
अध्यक्ष।

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, टिहरी (नई टिहरी) जिला टिहरी गढ़वाल

18 जनवरी, 2016

सं0 929/न0पा0परि0टि0/सॉलिड वेस्ट–उपविधि/2015–2016–नगर पालिका परिषद् टिहरी (नई टिहरी) जनपद टिहरी गढ़वाल सीमान्तर्गत नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298, उपधारा–2 खण्ड–(झ) (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2000 के क्रियान्वयन हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2015 बनायी जाती हैं, जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। उपनियमावली/उपविधि का आलेख दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाकर प्रभावितों के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिन के अन्दर सुझाव एवं आपत्तियाँ औचित्य सहित मागें गये तथा निर्धारित अवधि के अन्दर जो आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त हुए उन पर विचारोपरान्त आवश्यक सुझावों को उपविधि में अतिरिक्त रूप से सम्मिलित कर पालिका के बोर्ड बैठक दिनांक 22.12.2015 में पारित प्रस्ताव सं0–01 में अन्तिम रूप देकर स्वीकार किया गया है। यह संशोधित उपनियमावली/उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि– 2015

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ–

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् टिहरी (नई टिहरी) जनपद–टिहरी गढ़वाल की **"नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि–2015"** कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् टिहरी (नई टिहरी) जनपद–टिहरी गढ़वाल के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

4. **परिभाषायें:–**

(i) **"नगरीय ठोस अपशिष्ठ"** के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं।

(ii) **"उपविधि"** से तात्पर्य नगर पालिका, अधिनियम 1916 के उपबन्धों के अधीन बनाई गई कोई उपविधि से हैं।

(iii) **"नगर पालिका परिषद्"** से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पालिका परिषद् से हैं।

(iv) **"अधिशासी अधिकारी"** से तात्पर्य नगर पालिका, अधिनियम 1916 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली–1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से हैं।

(iv) **"सफाई निरीक्षक"** से तात्पर्य पालिका, टिहरी में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(v) **"निरीक्षण अधिकारी"** का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश निरीक्षण के लिये अधिकृत किया गया हैं।

(vi) **"नियम"** से तात्पर्य भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0, 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से हैं।

(vii) **"अधिनियम"** से तात्पर्य (उत्तर प्रदेश)/उत्तराखण्ड, नगर पालिका, अधिनियम से हैं।

(ix) **"जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ठ"** (Biodegrabable waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट ये जिसका सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ठ आदि।

(x) "**जीव अनाशित अपशिष्ठ**" (Non-biodegrabable waste) का तात्पर्य ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से हैं, जो जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं हैं और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी हैं।

(xi) "**पुनर्चक्रणीय अपशिष्ठ**" (Recyclable waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे–प्लास्टिक, पौलीथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xii) "**जैव चिकित्सीय अपशिष्ठ**" (Biomedical waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसन्धान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(xiii) "**संग्रहण**" (Collection) से तात्पर्य अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत हैं।

(xiv) "**कम्पोस्ट खाद्द बनाने**" (Composting) से एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से है जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित हैं।

(xv) "**ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ठ**" (Demolition and construction waste) से सन्निर्माण, पुनःनिर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से हैं।

(xvi) "**व्ययन**" (disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणवता को प्रदूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत हैं।

(xvii) "**भूमिकरण**" (Landfilling) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत हैं।

(xix) "**निक्षालितक**" (leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया हैं।

(xx) "**नगर पालिका प्राधिकारी**" (Municipal authority) में म्युनिशपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता हैं।

(xxi) "**स्थानीय प्राधिकारी**" (Local authority) का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत हैं।

(xxii) "**नगरीय ठोस अपशिष्ठ**" (Municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazaradous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों मे पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता हैं।

(xxiii) "**सुविधा के परिचालक**" (Operator of facility) से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टो के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिये नगर पंचायत प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामाग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता हैं।

(xxiv) "**पुनः चक्रण**" (Recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामाग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता हैं। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता हैं।

(xxv) "**पृथक्करण**" (Segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत हैं।

(xxvi) "भण्डारण" (Storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvii) "परिवहन" (Transportation) से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सके।

5. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (Establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरें में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पालिका, के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पालिका के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक(Operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिये जायेंगे।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिये निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहां तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा करना सम्भव ना हो तो नगरपालिका, से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazaradous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

13. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।

14. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस मे नगर पालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

15. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना रू0 5/– को पूर्णांक में की जायेगी।

16. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User charges)

क्र0सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) की प्रस्तावित राशि रू0 में
1.	समस्त आवासीय घर	रू0 30.00 प्रतिमाह
2.	सब्जी एवं फल विक्रेता	ठेली पर फेरी मे रू0 10.00 प्रतिदिन दुकान/फड़ पर रू0 300.00 प्रतिमाह।
3.	रेस्टोरेन्ट	न्यूनतम 50.00 प्रतिमाह
4.	होटल/गेस्ट हाऊस	20 बैड तक रू0 100.00 प्रतिमाह, 21 बैड से ऊपर रू0 150.00 प्रतिमाह।
5.	लांजिग	100.00 प्रतिमाह
6.	आश्रम/अखाड़ा	21 बैड तक रू0 200.00, 21 बैड से ऊपर रू0–400.00 प्रतिमाह एवं इसके अतिरिक्त विवाह/उत्सव आयोजन पर रू0 500.00 प्रतिदिन अतिरिक्त।
7.	धर्मशाला	10 कमरों तक रू0 200.00 प्रतिमाह, 11 से ऊपर रू0–400.00 प्रतिमाह, इसके अतिरिक्त विवाह/उत्सव आयोजन पर रू0 500.00 प्रतिदिन अतिरिक्त।
8.	बारातघर	रू0 500.00 प्रतिमाह
9.	बैकरी	रू0 300.00 प्रतिमाह
10.	कार्यालय	न्यूनतम रू0 200.00 प्रतिमाह, 51 कर्मचारियों से 100 तक रू0 400.00 प्रतिमाह, 101 से 300 तक रू0 500.00 प्रतिमाह एवं उससे अधिक पर रू0 600.00
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	रू0– 500.00 प्रतिमाह
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	रू0– 200.00 प्रतिमाह
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	20 बैड तक रू0 400.00 प्रतिमाह 21 बैड से 40 बैड तक रू0 500.00 प्रतिमाह एवं 41 से 100 बैड तक रू0 700.00 प्रतिमाह उससे अधिक रू0 1000.00 प्रतिमाह
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	रू0 100.00 प्रतिमाह
15.	दुकान	रू0 30.00 प्रतिमाह
16.	फैक्ट्री	रू0 500.00 प्रतिमाह
17.	वर्कशाप/कबाड़ी	रू0 500.00 प्रतिमाह
18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	रू0 100.00 प्रतिमाह
19.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न हो	रू0 500.00 प्रतिदिन
20.	ढहान	0.50 घन मी0 तक रू0 100.00, 1.0 घन मी0 तक रू0 200.00, 3.0 घन मी0 तक रू0 500.00, 6.0 घन मी0 तक रू0 1000.00 इससे अधिक प्रति घन मी0 रू0 200.00 अतिरिक्त।
21.	निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	100वर्ग फीट तक रू0–50.00 प्रतिदिन एवं 100वर्ग फीट से अधिक रू0–10.00 प्रतिवर्ग फीट अतिरिक्त शुल्क देय होगा।
22.	मिक्स कूडा वाले घर	रू0 100.00 प्रतिमाह
23.	उक्त के अतिरिक्त	घर/दुकान/फैक्ट्री/वर्कशाप/समस्त संस्थाओं से निर्धारित दर का 10 गुना तक।

जैविक (Biodegrable) अपशिष्ट	पुनः चक्रणीय (Recyclable) अपशिष्ट	घरेलू परिसंकटमय (Hazaradous) अपशिष्ट
हर प्रकार का पका, बिना पका हुआ अपशिष्ट	कागज तथा हर प्रकार का प्लास्टिक	एरोसोल कैन
सब्जी एवं फलों के छिलके फूल एवं घरेलू पौधों का कूड़ा	कार्ड बोर्ड तथा कार्टन	बटन सैल, फ्लैसाईट/कार बैटरी
घरेलू झाड़ू से निकली गन्दगी	हर प्रकार की पैकिंग	ब्लॉच, घरेलू रसोई तथा नाला सफाई का सामान
सेनिटरी टावल	हर प्रकार के डिब्बे परिसंकटमय को छोड़कर	ऑयल फिल्टर तथा कार सुरक्षा के उत्पाद
बच्चों के डायपर	हर प्रकार के कांच/धातु/रबड़ लकड़ी	रसायन तथा उसके खाली डिब्बे सौन्दर्य तथा उनके खाली डिब्बे
	फाईल, पुड़िया, ट्रेटॉ पैक, कैसेट कम्प्यूटर, डिस्केट, इलैक्ट्रोनिक पुर्जे, खराब कपड़े, फर्नीचर आदि	इन्जेक्शन सुई तथा सिरिज खराब दवाईयाँ कीटनाशक तथा उनके डिब्बे
		लाईट बल्ब ट्यूब लाईट तथा छोटे फ्लासेन्ट बल्ब थर्मामीटर एवं अन्य पारे वाले उत्पाद
		पेन्ट, तेल, गौंद, थिनर तथा उनके डिब्बे फोटोग्राफी के रसायन

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–299 (1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन नियमावली–2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रू0 5000.00 तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तरण किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रू0 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल में अन्तिम रूप में निहित होगा।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद्,
टिहरी।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद्,
टिहरी।

कार्यालय नगर पंचायत बनबसा, जिला चम्पावत

16 सितम्बर, 2015 ई0

सार्वजनिक सूचना

पत्रांक–ज्ञाप/विविध लाइसेन्स उपविधि/2015–16–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–2, सन् 1916) (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–3 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग के अन्तर्गत सरकारी गजट उत्तराखण्ड शासन शहरी विकास अनुभाग–1 की अधिसूचना के द्वारा नवगठित नगर पंचायत, बनबसा को सृजन के उपरान्त यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट, 1916 की धारा 293, 294 के अन्तर्गत नगर पंचायत, बनबसा की सीमा के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायों/व्यापारियों/धनार्जित कार्यों को करने वालों पर लोक सुरक्षा/सुविधा/नियन्त्रण करने के उद्देश्य से नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298 पठित खण्ड–1 व 2 सूची 1 के उपखण्ड च, छ एवं ज (ग) (घ) के अन्तर्गत नगर पंचायत, बनबसा के प्रशासक महोदय से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यवसायों पर लाइसेन्स शुल्क लगाये जाने का निर्णय लिया गया है इसी परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या–2399/नौ–9–94–204 (जनरल) 90, दिनांक 27 अक्टूबर, 1994 शासनादेश संख्या 1847/नौ–9–97–23ज/97, दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 एवं शासनादेश संख्या 121/सी0एम0/नौ–9–97–23ज/97, दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत, बनबसा की सीमा के अन्तर्गत व्यवसाय करने वाले विभिन्न व्यवसायियों को नियत करने के उद्देश्य से संयुक्त लाइसेन्स उपविधि जिसे उक्त एक्ट की धारा–300 की उपधारा (1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है इस सम्बन्ध में प्रशासक महोदय में लाइसेन्स दरों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है साथ ही जनसाधारण एवं प्रभावित होने वाले व्यवसायियों /व्यापारी/उद्यमियों से आपत्तियों एवं सुझावों के निस्तारण के उपरान्त विज्ञप्ति प्रकाशित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त उपविधियाँ एवं उपनियम गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे

उपविधियाँ

परिभाषा–

1– यह उपविधि नगर पंचायत बनबसा की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायियों को नियन्त्रण करने हेतु लाईसेन्सिंग एव अन्य शुल्क उपविधि वर्ष 2015–16 कहलायेगी तथा यह गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू समझी जायेगी।

(क) अधिनियम – अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 उत्तराखण्ड (यू0पी0) म्यूनिसिपेलिटी एक्ट 1916 अध्यादेश 2002 से है।

(ख) नगर पंचायत की सीमा से तात्पर्य – नगर पंचायत बनबसा के शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी– अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत बनबसा से है।

(घ) अध्यक्ष– अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत के निर्वाचित अध्यक्ष एवं प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ड) बोर्ड– बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत के निर्वाचित सदस्यों की कमेटी से है।

(च) लाईसेसिंग अधिकारी– लाईसेसिंग अधिकारी का तात्पार्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

2– नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति व्यवसाय आरम्भ तभी कर सकेगा जब वह इस हेतु नगर पंचायत कार्यालय में निर्धारित शुल्क का अग्रिम भुगतान कर लाईसेन्स प्राप्त कर सकेगा।

3– इस नियम/उपनियम के अन्तर्गत लाईसेन्स की अवधि प्रति वर्ष एक अप्रैल से 31 मार्च तक एक वर्ष के लिये वैध होगी।

4– लाईसेन्स जारी करने हेतु लाईसेन्स अधिकारी अधिशासी अधिकारी होगें या उनके द्वारा अधिकृत कोई कर्मचारी होगा।

5– प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी इन उपविधियों के अधीन नगर पंचायत बनबसा के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रति वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा

6– लाईसेन्स अधिकारी को लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार व्यवसायिक दुकान का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाईसेन्सिंग अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी जोकि निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो द्वारा व्यवसायिक दुकान/प्रतिष्ठान की जाँच करने पर ही लाईसेन्स निर्गत करेगा

7– कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीडित हो तो स्वयं ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा और न ही ऐसे व्यवसाय में किसी ऐसे व्यक्तिको सेवायोजित करेगा।

8– लाईसेन्सिंग अधिकारी इन उपविधियों के अधीन खान पान से सम्बन्धित व्यवसाय होटल दुकानों, हलवाईयो, सब्जी विक्रताओं की दुकानों के निरीक्षण के समय पाई जाने वाली गन्दगी के विरूद्व अथवा सडी गली फलसब्जियों में रखने व विक्रय करने के विरूद्व कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकार होगा।

9– प्रत्येक व्यापारी को चाहिये कि वह नगर पंचायत कार्यालय से लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा और व्यवसाय हेतु आवश्यक शुल्क जमा कर लाईसेन्स प्राप्त कर सकेगा।

10– इन उपविधियों के अधीन खान पान से सम्बन्धित व्यवसायों, दुकानदारों, व्यक्तियों की दुकान से अगल बगल व सामने प्रवेश कक्ष के समीप दुकान का कुडा व अन्य अनुपयुक्त गन्दी वस्तुयें रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नही होगा, जो किसी व्यक्ति की दृष्टि से हानिकारक/जनस्वाथ्य के विपरीत हो।

11– लाईसेन्स धारक अपने लाईसेन्स का नवीनीकरण फरवरी माह के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक नहीं कराता है तो उसे 15 अप्रैल के पश्चात् लाईसेन्स शुल्क पर विलम्ब शुल्क देय होगा विलम्ब शुल्क निर्धारित शुल्क 10.00 रू0 प्रतिदिन की दर से लाईसेन्स हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा।

12– कोई भी व्यक्ति लाईसेन्स धारक अपना व्यवसाय कम अथवा समाप्त करेगा तो अपना लाईसेन्स निरस्त करने हेतु रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर प्रार्थनापत्र फरवरी माह के अन्तिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करेगा जिसमें लाईसेन्सिंग अधिकारी दुकान का निरीक्षण कराकर लाईसेन्स निरस्त करेगा।

13– इस उपविधि के किसी प्राविधान के बारे में राज्य सरकार यदि सन्तुष्ट है कि उपविधि के किसी प्राविधान का दुरूपयोग किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है तो उक्त प्राविधान को परिष्कृत करने, छूट देने अथवा छुट देने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

14– शासनादेश संख्या' 2399/नौ–9–204(जनरल) 90दिनाँक 27 अक्टूबर 1994 द्वारा स्थानीय निकायों में लाईसेन्सिंग शुल्क व अन्य शुल्कों की दरों को संलग्न सूची के अनुसार नगर पंचायत बनबसा में लागू करने हेतु यह उपविधि बनाई गई है जिसमें नगर पंचायत बनबसा में लागू समस्त लाईसेन्स की मद जोडी गई है।

15– केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा पालिका में उल्लिखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाईसेन्स इन उपविधियों से भिन्न होंगे।

16– नगर पंचायत बनबसा द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के स्वामियों आदि का एक रजिस्टर बनाया जायेगा उसी के आधार पर वार्षिक लाईसेन्स प्रपत्र पर जारी किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति अथवा लाईसेन्सदार निर्धारित अवधि में लाईसेन्स नहीं बनाता है तो उससे लाईसेन्स की धनराशि वसूली हेतु नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों के तहत कानूनी कार्यवाही कर देय वसूली को वसूल करने का अधिकार नगर पंचायत बनबसा में सुरक्षित होगा।

17— जो शुल्क इस पालिका में नहीं हैं उनके अतिरिक्त अन्य शुल्क नगर पंचायत बनबसा की सीमा के अन्तर्गत लगने वाले मेले में अस्थाई व्यवसाय हेतु अस्थाई लाईसेन्स दिये जायेगें जिनका मूल्यांकन सूची में दिये गये व्यवसाय की दरों के आधार पर किया जायेगा और व्यवसाय सूची में नहीं हैं उनके लाईसेन्स की दरें नगर पंचायत बोर्ड द्वारा तय की जायेगी।

18— कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत बनबसा की सीमा के अन्तर्गत बोझा आदि ढोने अथवा मजदूरी के रूप में किये जा रहे पारिश्रमिक कार्य करने से पूर्व जोकि सुरक्षा की दृष्टि से अपने सत्यापन हेतु आवश्यक अभिलेख दस्तावेज प्रमाण निवास व चरित्र से सम्बन्धित प्रस्तुत करने उपरान्त उक्त कार्य नगर पंचायत में निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकृत करेगा उसके पश्चात् ही उक्त कार्य कर सकेगा।

19— कोई भी व्यक्ति जो पशुओं का पालन करता हो जिससे वह बोझा ढोने के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता हो को प्रति पशु का नगर पंचायत बनबसा में निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा उसके पश्चात् ही उक्त प्रकार के पशुओं से बोझा ढोने का कार्य करा सकेगा। साथ ही उक्त पशु शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने का प्रमाण भी देगा अन्यथा उक्त की स्थिति में पशु कुरता अधिनियम के अन्तर्गत स्वयं दोषी होगा तथा दण्ड का भागी होगा।

20— नगर पंचायत अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी कों किसी भी समय किसी भी व्यवसाय/दुकान के लाईसेन्स का परीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

दण्ड

यू0पी0 म्यूनिसिपेलिटीज एक्ट 1916 की धारा 299 (1) के अधीन इन उपरोक्त उपविधियों के किसी भी अंश का उल्लघन होने पर रू0 1,000.00 मात्र तक अर्थदण्ड किया जा सकेगा । यदि समयान्तर्गत लाईसेन्स धारक ने लाईसेन्स प्राप्त नही किया और उल्लंघन निरन्तर जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्व होने की तिथि से प्रतिदिन 25.00 रू0 की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड दिया जायेगा।

लाईसेन्सिंग हेतु प्रस्तावित शुल्कों की दरों की तालिका एवं लाईसेन्स मदों का विवरण व दरें निम्न प्रकार प्रस्तावित हैं:—

कम सं0	मद का विवरण	निर्धारित दरें (वार्षिक)	
1	2	3	
1	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैया तक	1000.00	
2	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 11 शैया से 20 शैया तक	2000.00	
3	एक सितारा अथवा बिना स्टार 20 शैया से ऊपर	6000.00	
4	——————,,.....——— 31 शैया से 40 शैया तक	7000.00	
5	——————,,,,,,,———41 शैयां से 50 शैया तक	8000.00	
6	—————— ,,,,,,————50 शैया से ऊपर	9000.00	
7	तीन सितारा होटल	9000.00	
8	पॉच सितारा होटल	12000.00	
9	रेस्टोरेन्ट(खाने का होटल)	1000.00	
	नर्सिंग होम		
1	नर्सिंग होम (20 बैड तक)	2000.00	
2	नर्सिंग होम (20 बैड से ऊपर)	रू0 50.00 प्रति बैड	
3	प्रसूति गृह (20 बैड तक)	4000.00	
4	प्रसूति गृह (20 बैड से उपर)	5000.00	
5	प्राईवेट अस्पताल	5000.00	
6	पैथोलाजी सेन्टर	1000.00	
7	एक्स रे क्लीनिक/अल्ट्रासाउन्ड	2000.00	

1	2	3	
8	डेन्टल क्लीनिक	2000.00	
9	प्राईवेट क्लीनिक	1000.00	
	परिवहन		
1	ट्रान्सपोर्ट (बिना वाहन के ऐजेन्सी)	3600.00	
2	ट्रान्सपोर्ट ऐजेन्सी वाहन सहित	7200.00	
3	आटो रिक्शा 2 सीटर	300.00	
4	आटो रिक्शा 7 सीटर टैम्पों	700.00	
5	आटो रिक्शा 4 सीटर	500.00	
6	ठेला/ठेली	100.00	
7	ट्राली	500.00	
8	मोटर गैरेज	1200.00	
9	स्कूटर, मोटर साईकिल गैरिज/रिपेयरिग शॉप	1200.00	
10	स्कूटर ऐजेन्सी दो पहिया या तीन पहिया	2500.00	
11	मोटर वाहन ऐजेन्सी सेल्स अथवा सर्विस	5000.00	
12	साईकिल की दुकान सेल्स अथवा सर्विस	500.00	
13	जे0सी0बी0 प्रति एक किराये पर चलाये जाने के उपयोग	3000.00	
14	वाहन धुलाई सेन्टर	500.00	
	पेट्रोलियम		
1	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प थोक(आयल कम्पनी)	5000.00	
2	पेट्रोल पम्प/डीजल पम्प फुटकर	3000.00	
3	जनरेटर डीजल व्यवसयिक	1200.00	
4	दुकान अन्य पेट्रोलियम पदार्थ मोबिल आयल आदि	1200.00	
	अन्य व्यवसाय		
1	आटा चक्की	500.00	
2	धुलाई ग्रृह/लान्ड्री	350.00	
3	ड्राईक्लीनर	700.00	
4	साबुन फैक्ट्री.	1500.00	
5	आईसकीम फैक्ट्री कोल्ड ड्रिंक सोडा वाटर फैक्ट्री	1500.00	
6	कबाडी	1200.00	
7	ईट भटटा	7500.00	
8	जूता बनाने का कारखाना	2500.00	
9	लोहा व्यापारी टिम्बर, सीमेन्ट, ईट, बालू,एत्थर, मारबल, टाईल्स,सेनेटरी, हार्डवेयर फुटकर विकता	2500.00	
10	बिजली सामान विकेता	1000.00	
11	रेडीमेट/कपडा थोक विकेता	2500.00	
12	रेडीमेट/कपडा फुटकर विकेता	1000.00	
13	चाय थोक विकेता	1000.00	
14	कैटरिंग	2400.00	
15	बेकरी उद्योग व्यवसाय	2400.00	

1	2	3	
16	हेयर कटिंग सैलून	500.00	
17	ब्यूटी पार्लर	1000.00	
18	कुकिंग गैस ऐजेन्सी	1500.00	
19	टेलरिंग हाउस 5 से अधिक कर्मचारी	2000.00	
20	टेलरिंग हाउस 5 से कम कर्मचारी	700.00	
21	कोयला थोक विक्रेता	5000.00	
22	कोयला फुटकर विक्रेता	500.00	
23	मसाला/पान मसाला फैक्ट्री	5000.00	
24	पेन्ट की दुकान	1000.00	
25	ज्वेलर्स बडे 5 लाख से अधिक वार्षिक टर्नओवर	5000.00	
26	ज्वेलर्स छोटे 5 लाख से कम वार्षिक टर्नओवर	2500.00	
27	विज्ञापन ऐजेन्सी	3000.00	
28	डेयरी फार्म	1000.00	
29	भूसा थोक	1000.00	
30	भूसा फुटकर	500.00	
31	आडियों/विडियों लाईब्रेरी	500.00	
32	कैविल टी0बी0 1 से 100 कनैक्शन केविल टी0वी0 100 से 200 तक	2000.0 3000.00	
33	कैबिल कनैक्शन 200 से अधिक	5000.00	
34	आर्किटेक्ट कन्सलटेन्ट विधि चार्टेट एकाउन्टेन्ट कास्ट एकाउन्टेन्ट	6000.00	
35	फाईनेन्स कम्पनी चिट फण्ड	6000.00	
36	इन्शोरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	12000.00	
37	फाउन्डिंग इन्जीनियमरिंग इण्ड0	1200.00	
38	पशुवध कर प्रति पशु	50.00	
39	अनाज, किलहन,चना,गुड थोक/फुटकर विक्रेता	2000.00	
40	आईस फैक्ट्री	10000.00	
41	टेन्ट हाउस	3000.00	
42	पान की दुकान	500.00	
43	चाय की दुकान	500.00	
44	जनरल स्टोर/दुकान थोक	2000.00	
45	जनरल मचेन्ट की दुकान फुटकर	1000.00	
46	किताबों की दुकान	1500.00	
47	न्यूज पेपर विक्रेता	500.00	
48	लकडी टाल की दुकान	500.00	
49	टिम्बर मचेन्ट	5000.00	
50	रेडियो, टी0वी0 मरम्मत/मैकेनिक	1000.00	
51	टी0वी0 शॉप, इलैक्ट्रानिक वस्तुऐं	2000.00	
52	कृषि उपकरण/फट्रीलाईजर शॉप	1000.00	
53	प्लास्टिक फैक्ट्री	6000.00	
54	प्लास्टिक ट्रेडर्स	1000.00	
55	मिठाई की दुकान	1500.00	
56	चाट बतासा की दुकान	300.00	
57	सब्जी/फल की दुकान	500.00	

1	2	3	
58	सब्जी/फल की आढ़त	1000.00	
59	बिल्डर्स रजिस्टर्ड	5000.00	
60	मसाले थोक विक्रेता	1000.00	
61	मसाले फुटकर विक्रेता	800.00	
62	देसी शराब की दुकान	20000.00	
63	अंग्रेजी शराब की दुकान	30000.00	
64	बियर की दुकान	6000.00	
65	भैसा मॉस की दुकान	600.00	
66	बकरा मॉस की दुकान	600.00	
67	मुर्गा मॉस की/अण्डा विक्रेता की दुकान	600.00	
68	मछली विक्रेता	500.00	
69	फर्नीचर की दुकान शोरूम	5000.00	
70	फर्नीचर विक्रेता	2500.00	
71	कॉकरी विक्रेता	500.00	
72	चूडी विक्रेता	300.00	
73	बोझा ढोने वाले प्रति मजदूर	200.00	
74	बोझा ढोने वाले प्रति पशु	500.00	
75	फर्नीचर मरम्मत कर्ता कारपेन्ट मिस्त्री	1000.00	
76	स्टोर केशर मशीन	15000.00	
77	साउन्ड डीजे की दुकान	800.00	
78	बैण्ड मास्टर की दुकान	1000.00	
79	फोटो स्टूडियों/विडियों फिल्म मेकर	1000.00	
80	प्रिन्टिंग प्रेस	1000.00	
81	कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र	1000.00	
82	कम्प्यूटर टाईप फोटो स्टेट मशीन	500.00	
83	ग्रिल उद्योग इलैक्ट्रोनिंक बैल्डिग मशीन	1000.00	
84	रूई धुनाई मशीन	500.00	
85	लोहार	100.00	
86	पोल्ट्री फार्म/गोदाम	1000.00	
87	शटरिंग सामाग्री हाउस	1500.00	
88	ईट रेता बजरी व्यवसाय	2000.00	
89	मोबाईल टावर प्रति टावर	3000.00	
90	धर्मकॉटा	2000.00	
91	गिफ्ट सेन्टर	500.00	
92	मैरिज हाल	5000.00	
93	सरिया सीमेन्ट थोक विक्रेता	5000.00	
94	नगर क्षेत्रान्तर्गत ताँगा चलाने का कार्य(ताँगा लाईसेन्स)	800.00	
95	नगर क्षेत्रान्तर्गत ताँगा चलाने का कार्य(ताँगा चालक का लाईसेन्स)	200.00	
96	मेडिकल स्टोर	1000.00	
97	1. रिक्शा लाइसेन्स स्वयं का रिक्शा 2. रिक्शा लाईसेन्स किराये का रिक्शा 3. रिक्शा चालक का लाईसेन्स	100.00 150.00 50.00	
98	1. वाहन लाईसेन्स बडे वाहन 2. वाहन लाईसेन्स छोटे वाहन	1,000.00प्रति वर्ष 500.00प्रति वर्ष	

1	2	3	
99	उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय	500.00	

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, बनबसा,
जनपद चम्पावत।

ह0 (अस्पष्ट)
प्रशासक/अध्यक्ष
नगर पंचायत, बनबसा,
जनपद चम्पावत।

सार्वजनिक सूचना

16 सितम्बर, 2015 ई0

पत्रांक–ज्ञाप/नगर पंचायत/उपविधि–गृहकर/2015–16–सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत बनबसा ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–140 (1) के द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी सीमा के अन्तर्गत भूमि/भवन की व्यवस्था को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु भूमि/भवन कर लागू करने के लिए प्रशासक महोदय, से स्वीकृति प्राप्त कर नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा–298 में दिये गये अधिकारों के अन्तर्गत उपविधि/उपनियम बनाने का निर्णय लिया गया है जिसे उक्त अधिनियम की धारा–300 (1) के अपेक्षा अनुसार उन समस्त व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है से आपत्तियाँ व सुझावों के निस्तारण के उपरान्त विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है।

उक्त उपविधियाँ एवं उपनियम गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

उपनियम भवन/भूमि कर

1 परिभाषा–

क. यह उपविधि नगर पंचायत बनबसा की सीमा के अन्तर्गत भवन/भूमि कर के विनियमन हेतु उपविधि कहलायेगी।

ख. प्रशासक/अध्यक्ष /प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

ग. अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत बनबसा के अधिशासी अधिकारी से है।

घ. सेवक से तात्पर्य नगर पंचायत के कर्मचारी से है।

ड. सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत की शासन द्वारा निर्धारित सीमा से है।

च. निकाय का तात्पर्य नगर पंचायत बनबसा से है।

छ. यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

भवन/भूमि कर नियमावली का प्रारूप

2 अ– समस्त भवन,दुकान,होटलों व जो भूमि नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत स्थित हों चाहे उसका मालिक उनको स्वयं प्रयोग करता है या किराये पर उठाता है एवं समस्त दुकान, फैक्टियों, कारखानों व दूसरी तिजारत में इस्तेमाल में आने वाले भवनों व जमीनों के वार्षिक किराये/मूल्यांकन का 10 प्रतिशत गृहकर लगाया जायेगा।

3 उस भवन या भूमि का जो उपरोक्त वाक्य खण्ड अ में नहीं आता सामान और मशीनों को किराये पर दी गई हो उनके किराये को घटाकर विशेष किराया आदि जब भूमि या भवन किराये पर न उठायी गई हो तो उचित किराया जिसमें की आने की आशा हो इमारतें हो तो मुश्तरफा अहाते की समस्त इमारतें।

4 अ– 15 दिसम्बर को या उसके पहले समस्त निकाय क्षेत्र में भीतर स्थिति ऐसी इमारतों की सूची में तैयार करेगी जिसके सम्बन्ध में या मालूम हो कि उन पर कर लगाया जा सकता है तक निकाय में दर्ज की गई प्रत्येक इमारत की मालियत और किसी ऐसी इमारत की मालियत जो उसमें दर्ज न हो पर जिसके सम्बन्ध में मालूम हो कि उस पर कर लगाया जा सकता है विचार करेगी और कर की यह रकम नियत करेगी जो ऐसी इमारतें स्वामी पर निर्धारित की जायेगी प्रत्येक इमारत का नाम उसके स्वामी का नाम वार्षिक मालियत जो उस इमारत की निर्धारित की गई हो और कर की रकम जो उसके स्वामी पर निर्धारित कर दी गई हो तो निर्धारण सूची में दर्ज की जायेगी जो इस नियमों के संलग्न प्रपत्रों के अनुसार होगी और 20जनवरी को या उसके पहले की जायेगी।

ब– कर दो बराबर किश्तों में जमा किया जा सकता है और उनकी अदायगी 15 मई और 15 नवम्बर होगी किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई ऐसा चाहे तो किसी किश्त को उसकी नियम दिनाँक से पहले भी जमा कर सकता है।

5 अ– कोई व्यक्ति किसी भी समय अपना नाम किसी भवन या भूमि के लिये बतौर स्वामी कर की सूची में इन्द्राज करने के लिये प्रार्थना कर सकता है और जब ऐसे प्रार्थनापत्र को अस्वीकृत करने का कोई पर्याप्त कारण न हो तो अस्वीकृत नहीं किया गया तो उसका नाम कर सूची में इन्द्राज कर दिया जायेगा।

ब– यदि किसी जायदाद के स्वामी के बारे में यह सन्देह हो तो बोर्ड निर्णय देगा कि किसका नाम बतौर स्वामी लिख जाय और निर्णय जब तक लागू रहेगा जब तक प्रतियुक्त न्यायालय इसके विरूद्ध निर्णय न दें।

6 अ– यदि भूमि, भवन जिस पर कर लग चुका है या लगने वाला हो के स्वामित्व के अधिकारों में परिवर्तन करता है और वह व्यक्ति जिसको अधिकार परिवर्तन किये जाते है। ऐसे परिवर्तन के दस्तावेज के लिये जाने या पंजीकरण किया गया हो तो के तीन माह के अन्दर इस अधिकार परिवर्तन की सूचना अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत को देगा

ब– यदि भवन या भूमि जिस पर कर लग चुका है अथवा लगने वाला है के स्वामी की मृत्यु हो गई हो तो उत्तराधिकारी तीन माह के अन्दर इसकी सूचना नगर पंचायत को देगा।

7 अ– ऐसा कोई व्यक्ति जिसके हक में परिवर्तन किया गया हो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के मागनें पर परिवर्तन का दस्तावेज या उसकी प्रतिलिपि जो इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1877 के अधीन प्राप्त की गई हो प्रस्तुत करेगा।

ब– 1 वह व्यक्ति जिसके उपर उत्तराधिकारी के नोटिस का उत्तरदायित्व उपर्युक्त नियमों के अनुसार जायदाद का पिछला कर दाखिल खारिज/नामान्तरण के स्वीकृत हो जाने से पूर्व जमा कर देगा।

8– दाखिल खारिज/नामान्तरण के प्रार्थनापत्र अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी द्वारा स्वीकृत किये जायेगें किन्तु शर्त यह है कि किसी भी मामले को बोर्ड के निर्णय के लिये रख सकता है।

9– यह कर अधिनियम के अनुसार अधिशासी अधिकारी की देखरेख में वसूल किया जायेगा।

10– यदि किसी व्यक्ति का कर शेष रहेगा तो वह नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 173(क) के अन्तर्गत वसूल किया जायेगा। यह कर कार्यालय नगर पंचायत के इन्डोर प्रणाली की ओर से वसूल किया जायेगा।

11– माफी या वापसी प्राप्ति के लिये इमारत का स्वामी जो अलग–अलग हिस्सों पर हो इमारत लगाये जाने के समय एसेसमेन्ट लिस्ट निर्धारण सूची के तमाम इमारत वार्षिक मूल्य के अतिरिक्त उसके अलग–अलग भागों में विस्तार से लिखे जाने के लिये निकाय से प्रार्थना कर सकता है।

12– नगर पंचायत के भवन कर लगाने के लिये स्वामी के पास भवन जिस पर नगर पंचायत कर लगाने में सम्बन्धित अधिकार रखती है पर्याप्त है चाहे वह भूमि अथवा तत्सम्बन्धी वस्तु किराये से मुक्त क्यों न हो।

कर का विवरण

1 नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत भवनों/भूमि के वार्षिक मूल्य पर 10 प्रतिशत कर लगाया जायेगा।

2 यह कर जायदाद के स्वामी पर लगाया जायेगा।

3 यह कर निकाय या निकाय द्वारा अधिकृत कर्मचारी द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आंका जायेगा और कर निर्धारण के वर्ष की सूची जो इन नियमों से संलग्न प्रपत्रों के अनुसार होगी और 20 जनवरी को या इससे पूर्व पूरी कर दी जायेगी।

4 कर निर्धारण सूची तैयार हो जाने पर ऐसे स्थानों की सूचना दी जायेगी जहाँ पर सूचियाँ देखी जा सकती है और सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को बजरिये व्यापक प्रचार तथा स्थानीय अखबार के माध्यम से सूचित किया जायेगा इस घोषणा के 30 दिन के अन्दर आपत्तियाँ निकाय में ली जायेगी और ऐसी आपत्तियाँ निकाय द्वारा नियम तारीख को सुनी जायेगी।

5 आपत्ति यदि हो तो उजरदार या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में तय की जायेगी। उजरदार या उसके प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में आपत्तियों पर एक तरफा निर्णय लिया जायेगा, और सूची में ऐसे संशोधन किये जायेगें जो आवश्यक है।

6 जब निकाय इस प्रकार की सूची को अन्तिम रूप दे चुकी हो तो वह सूची समस्त कागजात सहित पुष्टिकरण के लिये नियत प्राधिकारी को भेज दी जायेंगी।

7 नियत प्राधिकारी को या कोई नियत प्राधिकारी नियुक्त न किया गया हो तो जिलाधिकारी महोदय निर्धारित सूची की जाँच करेगें या उसे या तो उसी रूप में पुष्टि कर देगें या निकाय को उसके ऐसे बदलाव शुद्धियाँ या संशोधन करने के ऐसे आदेश देगें जो उनकी राय में आवश्यक या न्यायोचित हो और जब उपरोक्त बदलाव आदि किये जा चुके हो तो वह उस सूची की पुष्टि कर देगें और उस पर हस्ताक्षर करेगें जो इस बात का प्रतीक होगा कि वह सूची पुष्टि कर दी गई है तत्पश्चात् वह सूची कमेटी को लौटा दी जायेगी।

8 उपरोक्त खण्ड 7 में पुष्टि की गई सूची को कार्यालय नगर पंचायत में जमा करा दी जायेगी और उसके बाद सार्वजनिक नोटिस देकर यह घोषणा की जायेगी कि सूची निरीक्षण के लिये उपलब्ध है।

9 इन उपविधियों के प्रभावी होनें की तिथियों से भूमि/भवन कर से सम्बन्धित समस्त पूर्व प्रभावी उपविधियाँ स्वतः समाप्त हो जायेगी।

10 निम्नलिखित कर से मुक्त रहेगे।

(क) मन्दिर, मस्जिद,धर्मशाला, इमामबाडा,दरगाह, गिरजाघर,गुंरूद्वारा आदि तथा खैराती संस्थायें सिवाय वह भाग जो किराये पर चल रही हो।

(ख) नगर पंचायतों के कर्मचारियों की इमारतें जिनमें वह स्वयं रहते हैं।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 299(1) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत बनबसा जनपद चम्पावत यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमावली के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा जो रू0 1000.00 तक हो सकता है और उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्व हो जाये कि अपराधी अपराध करता है रू0 50.00 प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड हो सकता है।

भवन कर हेतु क्षेत्र विवरण

भवन कर निर्धारिण हेतु पूरे नगर पंचायत क्षेत्र के लिये प्रयोज्य मानक बनाये गये जो निम्नवत हैं:-

1 प्रदत्त सुविधायें
2 भवन की प्रायोगिक स्थित यथा मानसिक रूप से विक्षिप्त/विकलांग अथवा अन्य प्रकार के समस्याग्रस्त अन्तयोदय/बी0पी0एल0 परिवार
3 उक्त मानक नगर पंचायत बनबसा के समस्त वार्डों में लागू होगें।
4 शहरी क्षेत्र– नगर पंचायत बनबसा के समस्त वार्ड

उक्त करों में हर पाँच वर्ष बाद 25 प्रतिशत की औसत से संशोधित होते रहेगें।

शहरी क्षेत्र

क0स0	भवन	पक्का भवन प्रति कमरा प्रतिवर्ष दर रु0 में सुविधायुक्त /सुविधारहित	कच्चा/स्लेट/ पालवाला. प्रतिवर्ष दर रु0 में सुविधायुक्त/ सुविधारहित
1	स्वयं आवासीय भवन	125.00	75.00
2	किराये पर बने भवन	भवन/भवन के किसी भी कमरे को किराये पर देने पर प्रतिमाह किराये की दर से वार्षिक किराये का 10 प्रतिशत वार्षिक गृहकर	
		गौशाला, किचन तथा स्टोर जिसमें कोई खिड़की न हो कर मुक्त	

क्षेत्र– नगर पंचायत बनबसा समस्त 07 वार्ड

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, नगर पंचायत, बनबसा जनपद चम्पावत के उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 298 सूची (1) "ख" (क) के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर सीमा अन्तर्गत प्रशासक महोदय से स्वीकृति प्राप्त कर निर्माण कार्यों को कराये जाने के विनियमित तथा नियन्त्रित करने के लिये उपविधि बनाने का प्रस्वाव किया गया है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 300 (1) अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्तियाँ एवं व सुझावों के निस्तारण के उपरान्त विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। उक्त उपविधियाँ एवं उपनियम गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगें

नियमावली/उपनियम(ठेकेदारी पंजीयन)

परिभाषा:–

1. यह उपनियम नगर पंचायत, बनबसा जिला चम्पावत की सीमान्तर्गत एवं समस्त जिले के सीमान्तर्गत पंजीकृत ठेकेदारों की नियमावली कहलायेगी।
2. नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत, बनबसा है।

3. इस उपनियम के अन्तर्गत ठेकेदार शब्द से तात्पर्य नगर पंचायत बनबसा में भवन/सड़क आदि निर्माण कार्यों एवं अन्य विकास निर्माण कार्यों के ठेके लेने हेतु अधिकृत पंजीकृत ठेकेदार से है।
4. पंजीकरण अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत, बनबसा के अधिशासी अधिकारी/प्रशासक से है।
5. शासकीय इन्जीनियरिंग विभागों से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन के अधीन लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, जननिगम आदि अन्य समस्त शासकीय तकनीकी विभाग से है।
6. राज्य से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्य शासन से है।
7. यह कि नगर पंचायत, बनबसा सीमा अन्तर्गत नगर पंचायत द्वारा सार्वजनिक भवन/सड़क/नाली/नाले/पुलियां अथवा अन्य किसी प्रकार के विकास हेतु निर्माण कार्य की निविदायें नगर पंचायत के पंजीकृत ठेकेदारों से आमन्त्रित किये जाने हेतु निम्न प्रकिया/प्रतिबन्ध इस नियमावली के शासकीय गजट में प्रकाशन के उपरान्त पंजीकरण हेतु तत्काल से प्रभावी होगें।
8. यह कि बिना पंजीकरण के कोई भी ठेकेदार नगर पंचायत में किसी प्रकार की निविदा न तो क्रय कर सकेगा, और न ही निविदा डाल सकेगा और ना ही निर्माण कार्य सम्पादित कर सकेगा।
9. यह कि नगर पंयायत में ठेकेदारो का पंजीकरण 3 श्रेणियों में होगा जैसा कि इस नियमावली के अनुलग्नक "क" में निम्न प्रकार निर्दिष्ट है:-

अनुलग्नक– क

पंजीकृत ठेकेदारों की श्रेणी निर्माण कार्यों का मूल्यांकन, हैसियत, पंजीकरण शुल्क, नवीनीकरण शुल्क तथा स्थाई जमानत का विवरण जो निविदायें क्रय करने हेतु अधिकृत होगें।

क0स0	ठेकेदारो का वर्गीकरण	कार्य का मूल्य जिसकी निविदा ठेकेदार दे सकते है	हैसियत प्रमाण पत्र	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क	स्थाई जमानत शुल्क राष्ट्रिय बचत पत्र के रुप में पालिका पक्ष में बन्धक होगी।
1	2	3	4	5	6	7
1–	"ए" श्रेणी	समस्त निर्माण कार्य	10 लाख	15,000/–	5,000/–	25,000/–
2–	"बी" श्रेणी	5 लाख रु0 तक के निर्माण कार्य	5 लाख	10,000/–	5000/–	15,000/–
3–	"सी" श्रेणी	2 लाख तक के समस्त निर्माण कार्य	2 लाख	5,000/–	2500/–	10000/–

10. यह कि प्रत्येक नवीन पंजीकरण हेतु ठेकेदार फर्म को श्रेणी ए में आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होगें। अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त सही पाये जाने पर आवेदक को प्रथम श्रेणी ए के पंजीकरण हेतु रु0 15,000/– बिना वापसी शुल्क पालिका निधि में पंजीकरण अधिकारी के आदेश उपरान्त जमा कराना होगा। तथा श्रेणी बी के नवीन पंजीकरण हेतु रु0 10,000/– तथा सी श्रेणी के नवीन पंजीकरण हेतु क्रमशः रु0 5,000/– प्रति पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ आवेदक को निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होगें नवीन पंजीकरण हेतु केवल जिला चम्पावत के अन्तर्गत निवास करने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था ही आवेदन कर सकती है:-

(1) स्थाई निवास प्रमाण–पत्र सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त किया हुआ हो प्रस्तुत करना होगा।
(2) ठेकेदार को कम से कम 5 वर्ष के कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
(3) ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण पत्र वर्तमान पते के अनुसार प्रस्तुत करना होगा जो जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा प्रदत्त किया गया हो तथा जिसे प्राप्त किये हुये 6 माह से अधिक समय न हुआ हो।

(4) ठेकेदार को अपना हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जो जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त किया गया हो।
(5) ठेकेदार को आयकर/बिक्रीकर कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(6) यह कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में श्रेणी "ए" के पंजीकृत ठेकेदारों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व आगामी वित्तीय वर्ष हेतु अपने पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र के साथ उक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा नगर पंचायत निधि में पंजीकरण अधिकारी के नवीनीकरण के किये जाने के आदेश उपरान्त रु0 5000/– (पाँच सौ रुपये मात्र) नवीनीकरण शुल्क जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी तथा श्रेणी "बी" के पंजीकृत ठेकेदारो को आवेदन पत्र के साथ उक्तानुसार चरित्र प्रमाण पत्र व हैसियत सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा नवीनीकरण के आदेश उपरान्त रु0 5000/– (तीन सौ रुपये मात्र) नवीनीकरण शुल्क तथा श्रेणी "सी" के पंजीकृत ठेकेदारो को नवीनीकरण हेतु रु0 2500/– (दो सौ रुपये मात्र) प्रति नवीनीकरण वार्षिक शुल्क जमा करना होगा। उक्त समय अवधि तक नवीनीकरण न कराने पर ठेकेदार का पंजीकरण स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
(7) स्थाई जमानत शुल्क कालम 7 व 5 वर्ष बाद बदल पुनः देय होगा।

11. ठेकेदारी पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र 01 अप्रैल से 31 मई तक दिया जा सकता है। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. किसी भी प्रार्थना पत्र को बिना कारण बताये निरस्त करने पंजीकृत ठेकेदार को सन्तोषजनक कार्य न करने पर ब्लैक लिस्ट करने का अधिकार पी0डब्लू0सी0 की सस्तुति पर अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, बनबसा पर निहित होगा।
13. नवीन पंजीकरण की समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त पंचायत द्वारा ठेकेदार को अनुलग्नक "ख" के प्रारुप पर ठेकेदारी पंजीयन का प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

अनुलग्नक ख
कार्यालय नगर पंचायत बनबनसा (चम्पावत)।
ठेकेदारी पंजीकरण प्रमाण पत्र

पत्रांक..... दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पुत्र श्री.....
निवासी.....का इस नगर पंचायत में श्रेणी.....के ठेकेदारी कार्य हेतु पंजीकरण किया गया, यह पंजीकरण 01 अप्रैल,.....से 31 मार्च,.....तक के लिये वैध होगा।

25. पंजीकृत किये गये किसी भी व्यक्ति, फर्म, संस्था आदि को निम्नलिखित किसी भी कारण से ठेकेदारो की सूची से पृथक कर दिया जायेगा। ऐसे आदेश पारित करने से पूर्व सम्बन्धित ठेकेदारो को कारण बताओं नोटिस जारी किया जायेगा:–
(1) कार्य स्वीकृति के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक न होने की दशा में।
(2) टेण्डर स्वीकृति के उपरान्त कार्य समय से आरम्भ न करने की दशा में।
(3) पर्याप्त मूलधन, तकनीकी कर्मचारी व आवश्यक उपकरणों के अभाव की स्थिति में।
(4) किसी अपराध के कारण सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने कि स्थिति में।
(5) किसी भी प्रकार की मानसिक असक्षमता (पागलपन) की स्थिति में।

26. कार्य निर्धारित मानको के अन्तर्गत एवं निर्धारित अवधि अथवा बढ़ाई गयी समय अवधियों के उपरान्त भी पूर्ण न किये जाने की दशा में ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी पंजीयन जमानत भुगतान किये गये बिल से काटी गयी जमानत की एवं धरोहर धनराशि को भी जब्त कर लिया जायेगा। इस हेतु अधिशासी अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

27. ऐसे निर्माण कार्य के ठेकेदार जो निर्माण कार्यों को ठेका अन्य किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से सब्लेट हस्तान्तरित करते पायें जायेगें, उनका पंजीकरण निरस्त करने तथा उनका नाम ब्लैक लिस्ट में दर्ज किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में अधिशासी अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम रुप से स्वीकार होगा।
28. कार्य हेतु निर्धारित अवधि को विशेष परिस्थितियों में दो बार अधिकतम बढ़ाया जा सकेगा। प्रथम बार स्वविवेक से समयावधि अधिकतम दो माह तक बढ़ा सकते है। इस उपरान्त समयावधि बढ़ाये जाने हेतु अधिशासी अधिकारी सक्षम होगें, परन्तु बढ़ाये जाने वाली अवधि किसी भी दशा में तीन माह से अधिक नहीं होगी। यह कार्य की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर आधारित होगा। जिसको करवाने वाले अवर अभियन्ता द्वारा ठेकेदार के प्रार्थना पत्र में अंकित किया जायेगा। कार्य समय से पूर्ण न होने पर एक प्रतिशत की दर से शेष बचे कार्य के अनुसार अवर अभियन्ता की संस्तुति पर अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन की दर के अनुसार अर्थदण्ड लगाया जायेगा। जो कि भुगतान के साथ तब काटा जायेगा जब ठेकेदार नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर नकद जमा नहीं करता है।
29. ठेकेदार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की निर्धारित मानकों एवं प्रतिमानों के अन्तर्गत इस पंचायत में भी कार्य करना होगा।
30. इस उपनियम के प्रभावी होने की तिथि से पूर्व की ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन की सभी व्यवस्थायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी।
31. यह उपनियम उत्तराखण्ड गजट में अन्तिम रुप से प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।
32. नगर पंचायत, बनबसा के कार्यालय में उक्त कार्य हेतु एक रजिस्टर होगा जिसमें समस्त पंजीकृत ठेकेदारों का विवरण निम्न प्रारुप पर अंकित होगा।
33. अगले वित्तीय वर्ष के लिये उन्ही ठेकेदारों का नवीनीकरण किया जायेगा जिन्हें निकाय के अधिशासी अधिकारी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र जारी होगा।
34. यदि कम संख्या 22 पर नोटिस जारी होता है तो ठेकेदार को एक माह में नोटिस का निस्तारण कराना होगा।
35. नोटिस का निस्तारण न कराने पर कम संख्या 15 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

रजिस्टर का प्रारुप

क0स0	ठेकेदार का नाम पंजीकरण हेतु स्वीकृति	पंजीकरण की श्रेणी	पंजीकरण का शुल्क धनराशि	एन0एस0सी0/ एफ0डी0आर0		पंजीकरण तिथि	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण रसीद		रिमार्क का वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, नगर पंचायत, बनबसा जिला चम्पावत ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 तथा नगर पालिका अधिनियम 128 में वर्णित उपधाराओं के अन्तर्गत अधिकारी का प्रयोग करते हुये नगर सीमा अन्तर्गत अचल सम्पत्ति नामान्तरण/स्थानान्तरण (नाम परिवर्तन) पर कर लगाने सम्बन्धी प्रशासक महोदय से स्वीकृति प्राप्त कर एवं नगर पालिका अधिनियम 298 के अन्तर्गत उपविधि/उपनियम बनाये जाने के अधिकारों के प्रयोग करते हुये निर्णय लिया गया है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा 300(1) अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्तियाँ व सुझावों के निस्तारण के उपरान्त विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है।

उक्त उपविधियाँ एवं उपनियम गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगें

–:उपविधियाँ:–(अचल सम्पत्ति नामान्तरण/स्थानान्तरण हेतु)

1 **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–**

(क) यह उपविधि नगर पंचायत, बनबसा दाखिल खारिज (सम्पत्ति नाम परिवर्तन) उपविधि 2015 कहलायेगी।

(ख) यह नगर पंचायत, बनबसा की सीमा में प्रवृत होगी।

(ग) यह नगर पंचायत, बनबसा द्वारा प्रख्यापित किये जाने के दिनांक से प्रवृत होगी।

2 **परिभाषायें–**

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–

(क) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत, बनबसा से है।

(ख) सीमा का तात्पर्य नगर पंचायत, बनबसा की सीमा से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, बनबसा से है।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, बनबसा के निर्वाचित अध्यक्ष से है।

(ड़) प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत, बनबसा के प्रशासक से है।

(च) अधिनियम का तात्पर्य उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 से हैं।

(छ) अभिलेखों का तात्पर्य नगर पंचायत कार्यालय में उपलब्ध रजिस्टरों आदि तथा भविष्य में कमेटी द्वारा तैयार किये गये खसरे व नक्शे कर निर्धारण सूची एवं मांग वसूली व सम्पत्ति रजिस्टरों से है।

(ज) दाखिल खारिज (सम्पत्ति नाम परिवर्तन) का तात्पर्य नगर पंचायत, बनबसा की सीमा के अन्दर स्थित किसी नागरिक के अचल सम्पत्ति (भूमि और भवन आदि) के सम्बन्ध में नगर पंचायत अभिलेखों में अंकित वर्तमान प्रविष्टि के नियमानुसार साक्ष्य के आधार पर निरस्त कराकर सही स्वामी का नाम अंकित कराने से है।

3 नगर पंचायत सीमा के अन्दर स्थित अचल सम्पत्ति (भूमि और भवन आदि) के प्रत्येक उस अध्यासी का जो उत्तराधिकारी, विक्रयपत्र, इकरारनामा, दानपत्र, वसीयत या किसी अन्य प्रकार के अधिकृत कानूनी आधार पर अचल सम्पत्ति की जो उसके अध्यासन में है। स्वामी है या अपने आप को स्वामी समझता है तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने के दिनांक से तीस दिन के अन्दर उसका कर्तव्य होगा कि वह इन उपविधियों के अन्तर्गत उक्त अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में दाखिल खारिज की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

4 उपरोक्त नियम तीन के अन्तर्गत प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी को नगर पंचायत, बनबसा के समस्त बकायेदारों एवं अन्य बकायों को यदि कोई हो, के सम्पूर्ण अदायेगी का प्रमाण पत्र एवं दाखिल खारिज हेतु निर्धारित शुल्क जिसका विवरण नियम 20 के अन्तर्गत अनुसूची

में किया गया है, के अनुसार अदा कर रसीद प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने पर उसका प्रार्थना पत्र अधिशासी अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

5 दाखिल खारिज हेतु भुगतान किया जाने वाला शुल्क नगर पंचायत, बनबसा के कर लिपिक द्वारा प्राप्त किया जायेगा एवं दाखिल खारिज शुल्क प्रत्येक प्रार्थना पत्र के लिये पृथक–पृथक भुगतान करना होगा, एक बार जमा किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा और न ही इसका समायोजन किया जायेगा।

6 दाखिल खारिज हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों में निम्न विवरण अनिवार्य रुप से देने होगें:–

(क) अचल सम्पत्ति (भूमि और भवन आदि) की संख्या व क्षेत्रफल।

(ख) चौहद्दी–

(ग) नगर पंचायत अभिलेखों में अंकित वर्तमान प्रवृष्टि का विवरण–

(घ) मार्ग एवं मोहल्ले का नाम जिसमें अचल सम्पत्ति स्थित हो–

(ड़) उत्तराधिकार, विक्रयपत्र, इकरारनामा, दानपत्र, वसीयत या अन्य प्रकार के अधिकृत कानूनी आधार व दस्तावेज (जो कि किसी स्तर पर नियमानुसार पंजीकृत अवश्य हो)।

(च) उन व्यक्तियों के नाम जिनको प्रार्थी अपने पक्ष में गवाह के रुप में प्रस्तुत करना चाहता है–

(छ) अचल सम्पत्ति (भूमि और भवन आदि) की माप–

7 प्रार्थना पत्र उक्त कार्यालय मे प्राप्त होने पर मौके की जाँच हेतु किसी भी नगर पंचायत कर्मचारी को आदेश किया जायेगा जो अपनी जाँच रिपोर्ट एक सप्ताह में देगा।

8 जाँच रिपोर्ट आने पर नगर पंचायत, बनबसा के अधिशासी अधिकारी द्वारा इन अचल सम्पत्तियों के दाखिल खारिज की सूचना पत्र या इश्तिहार के रुप में जारी किया जायेगा। इश्तिहार का व्यय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को देना होगा।

9 इश्तिहार जारी होने के बाद इस अचल सम्पत्ति के लिये दाखिल खारिज हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इश्तिहार जारी होने के 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेगा।

10 आवेदक को इश्तिहार पर होने वाले व्यय का भार स्वयं उठाना होगा जिसमें निकाय की कोई जिम्मेदारी अथवा उत्तरदायित्व नहीं होगा।

11 नामान्तरण प्रक्रिया में किसी आपत्तिकर्ता को यदि कोई आपत्ति हो तो पृथक–पृथक रुप से आपत्ति कर्ताओं को आपत्ति प्रार्थना पत्र के साथ नकद रुप में रु0 500/– जमा करने होगें। जो कि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जा सकेगा।

12 आपत्तिकर्ता को आपत्ति के साथ नगर पंचायत, बनबसा के समस्त बकाये करों की अदायेगी का प्रमाण पत्र पेश करना होगा, इसके अतिरिक्त आपत्तिकर्ता के साथ आपत्ति रसीद संलग्न करेगा तभी उसकी आपत्ति स्वीकार की जायेगी, अन्यथा निरस्त कर दी जायेगी।

13 यदि आपत्तिकर्ता की स्वीकार की गयी आपत्ति निरस्त कर दी जाती है तो आपत्तिकर्ता के द्वारा आपत्ति के साथ जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

14 दाखिल खारिज की कार्यवाही के दौरान समस्त साक्ष्य लिखित एवं गवाहों के रुप में अधिशासी अधिकारी या उनके अधिकृत कर्मचारी को प्रस्तुत करने होगें।

15 समस्त औपचारिकतायें पूर्ण न होने पर दाखिल खारिज प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रार्थी के पक्ष में कर दिया जायेगा। उसकी सूचना/आदेश का संक्षिप्त सार पूंजी रजिस्टर व कर निर्धारण सूची तथा मांग वसूली रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

16 दाखिल खारिज की कार्यवाही के दौरान कोई विवाद स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में प्रशासक/अध्यक्ष, नगर पंचायत का निर्णय अन्तिम होगा।

17 दाखिल खारिज की कार्यवाही के दौरान यदि कोई पक्ष कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालय में निषेधआज्ञा प्रस्तुत करता है तो दाखिल खारिज की कार्यवाही सम्बन्धित न्यायालय में अग्रिम आदेशों तक रोक दी जायेगी।

18 दाखिल खारिज की स्वीकृति अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदान किये जाने के उपरान्त यदि किसी पक्ष के दीवानी न्यायालय में निर्णय के अनुसार उसके प्रार्थना पत्र पर तद्नुसार अभिलेख में संशोधन कर दिया जायेगा।

19 दाखिल खारिज की कार्यवाही प्रत्येक दशा में 35 दिन के अन्दर पूर्ण की जायेगी।

20 दाखिल खारिज करने के लिये प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित अनुसूची में निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। किसी भी भवन का नामान्तरण दूसरें पक्ष के नाम इन्द्राज कराने पर प्रति भवन/भूमि के दाखिल खारिज/ नामान्तरण के लिये बिकीनामे/इकरारनामे की धनराशि का 5 प्रतिशत शुल्क पंचायत कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा तथा वित्तीय वर्ष मे लगें भवन कर धनराशि डेढ़ गुना हो जायेगा:-

मुक्ति

1. राजकीय अचल सम्पत्ति शुल्क से मुक्ति होगी।
2. धार्मिक स्थल, सम्पत्ति शुल्क से मुक्त धार्मिक स्थल से तात्पर्य किसी तरह के व्यवसायिक उपयोग हेतु किराये बेचना दुकानें आदि सम्पत्ति में देना होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 299 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत, बनबसा एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि इस उपविधि में दिये गये किन्ही भी उपबन्धों को उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो रु0 1,000/ तक हो सकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा भवन कर नामान्तरण प्रकिया में प्रस्तुत अभिलेख/दस्तावेज/साक्ष्य अथवा गुमराह किये जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरुद्व सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत बनबसा जिला चम्पावत ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 तथा नगर पालिका अधिनियम 293 में वर्णित उपधाराओं के अन्तर्गत अधिकारो का प्रयोग करते हुये नगर सीमा अन्तर्गत सार्वजनिक मार्गों, खड़जो, फुटपाथ स्थलों एवं नगर पंचायत में निहित भूमि सार्वजनिक स्थल पर दैनिक रुप से फड़ व्यवसाय सामग्री विक्रय करने अथवा प्रयोग में लाने पर शुल्क लगाने सम्बन्धी प्रशासक महोदय से स्वीकृति प्राप्त कर एवं नगर पालिका अधिनियम 298 के अन्तर्गत उपविधि/उपनियम बनाये जाने के अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्णय लिया गया है। जिसे उक्त अधिनियम की धारा 300(1) अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की सम्भावना है, से आपत्तियाँ एव व सुझावों के निस्तारण के उपरान्त विज्ञप्ति प्रकाशित की जा रही है। उक्त उपविधियाँ एवं उपनियम गजट प्रकाशन की तिथि से लागू होगें

तहबाजारी उपविधियाँ/उपनियम

3. **संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–**

(क) यह उपविधि नगर पंचायत, बनबसा तहबाजारी उपविधि 2015 कहलायेगी।
(ख) यह नगर पंचायत, बनबसा की सीमा में प्रवृत होगी।
(ग) यह नगर पंचायत, बनबसा द्वारा प्रख्यापित किये जाने के दिनांक से प्रवृत होगी।

4. **परिभाषायें–**

किसी विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस उपविधि में–
(क) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत, बनबसा से है।
(ख) सीमा का तात्पर्य नगर पंचायत, बनबसा की सीमा से है।
(ग) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, बनबसा से है।
(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, बनबसा के निर्वाचित अध्यक्ष से है।
(ड़) प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत, बनबसा के प्रशासक से है।
(च) अधिनियम का तात्पर्य उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 (संशोधन) अधिनियम 2003 से हैं।

परिभाषा तहबाजारी

तहबाजारी का अर्थ उस शुल्क से है जो नगर पंचायत सीमाओं के अन्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, गलियों तथा खुले स्थानों का अस्थायी उपयोग के लिये सम्बन्धित व्यक्ति/उपभोक्ता नगर पंचायत बनबसा को देगा।

कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत बनबसा की सीमाओं के अन्दर किसी भी सार्वजनिक स्थान गली, सड़क, मोटर मार्ग एवं खुले हुये स्थानों पर फेरी या मजमा लगाकर हाथ ठेला या बूथ या स्टाल लगाकर या खुली जगह पर न सामान बेचेगा। न बेचने के लिये प्रदर्शित करेगा। न दस्तकारी का या अन्य व्यवसाय करेगा न मदारी का या नट का अन्य खेल दिखायेगा। जब तक कि इन उपनियमों से संलग्न अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरों पर तहबाजारी शुल्क का भुगतान कर रसीद न प्राप्त कर ली गयी हो।

नोट– विक्रय के लिये प्रदर्शित की जाने वाली चीजों के अतिरिक्त सुविधा के लिये उपयोग में लाया जाने वाला सामान या फर्नीचर भी सम्मिलित माना जायेगा।

1. प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा तहबाजारी देय है निर्धारित दरों पर भुगतान नगर पंचायत के इस हेतु नियत कर्मचारी को करेगा।
2. तहबाजारी वसूल करने वाला कर्मचारी उपनियमों से संलग्न प्रपत्र बी0 2/100 पर रसीद/प्रतिपर्ण सहित और रसीद कूपन सहित शुल्क देने वाला व्यक्ति को भी रसीद जारी किया जायेगा।
3. दैनिक वसूली का प्रगामी योग प्रत्येक रसीद के जारी होने वाले प्रतिपर्ण के नीचे निश्चित स्थान पर लिखा जायेगा।
4. किसी भी रसीद धारक को अधिशासी अधिकारी राजस्व निरीक्षक अथवा नगर पंचायत द्वारा अधिकृत किसी अन्य कर्मचारी द्वारा मांग करने पर अपना टिकट दिखाना होगा।
5. ऐसा अधिकारी ऐसी जाँच जिसे वह आवश्यक समझे कर लेने पर रसीद प्रतिपर्ण से तुलना हेतु अपने पास रख लेगा। और रसीद हस्ताक्षर कर धारक को वापस कर देगा।

6. उपनियम संख्या 1 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर लकड़ी के फड़ स्टाल या बूथ का निर्माण प्रशासक/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी की लिखित स्वीकृति के प्राप्त किये बिना नही करेगा।
7. किसी स्थान विशेष की स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुये बोर्ड ऐसे स्थान को तहबाजारी के लिये निर्दिष्ट कर सकता है अथवा ऐसे स्थानों के लिये नगर पालिका अधिनियम की धारा 293 के अन्तर्गत समझौते अथवा नीलाम से विशेष दरें निर्धारित कर सकता है।
8. यह उपनियम तथा इनसे संलग्न दरें उन वर्तमान फड़ो, बूथों व स्टालों पर भी लागू होगें जो दैनिक या मासिक तहबाजारी पर दिये गये हैं।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका एक्ट 1916 की धारा 299 (1) के प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत, बनबसा जिला चम्पावत यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपनियम 1, 5 तथा 7 के किसी भी उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड या जुर्माना किया जायेगा, जो रु0 1,000/– (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है। तथा निरन्तर उल्लघंन की दशा में अपराध सिद्व होने की तिथि से रु0 25/– प्रतिदिन अर्थदण्ड हो सकता है।

तहबाजारी शुल्क की अनुसूची

क्र0स0	विवरण	दर
1	किसी भी प्रकार की फल या सब्जी की टोकरी	रु0 20.00 प्रति टोकरी
2	फल, फूल मिठाई चाट या अन्य कोई वस्तु चलती फिरती हाथ ठेली पर	रु0 20.00 प्रति ठेली प्रतिदिन
3	मजमा लगाकर दवाई कपड़े बेचना या अन्य कोई व्यापार या व्यवसाय करना	रु0 50.00 प्रतिदिन
4	मजमा लगाकर मदारी नट जादू या अन्य खेल दिखाना सार्वजनिक अवरोधों के स्थान पर ऐसे खेल दिखाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।	रु0 20.00 प्रतिदिन
5	फेरी पर गुब्बारे या खिलौने बेचना	रु0 20.00 प्रतिदन
6	फेरी पर चूड़ी बेचना	रु0 20.00 प्रतिदन
7	फेरी पर कपड़े बर्तन या कम संख्या 5 व 6 की वस्तु छोड़कर कोई अन्य वस्तु बेचना	रु0 20.00 प्रतिदिन
8	मोची हज्जाम दर्जी का या अन्य व्यवसाय या दस्तकारी के कार्य के लिये स्थान घेरने पर	प्रतिवर्ग मी0 या उसके भाग के लिये रु0 20.00 प्रतिदिन
9	फल या सब्जी बेचने के लिये स्थान घेरने के लिये स्थान घेरने पर	प्रतिवर्ग मी0 या उसके भाग के लिये रु0 20.00 प्रतिदिन
10	कपड़ा बिसाताखाना दवाई आदि	प्रतिवर्ग मी0 रु0 20.00 प्रतिदिन
11	किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिये लकड़ी का फड़ स्टाल या बूथ बनाने पर	प्रतिवर्ग मी0 रु0 20.00 प्रतिदिन
12	उक्त सूची के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय	रु0 20.00 प्रतिदिन

नोटः–

4. उपरोक्त दरों की अनुसूची में प्रतिदिन का अर्थ चौबीस घंटा या उसके भाग से है।
5. केवल मेले व त्यौहारों के लिये स्थान या अस्थायी उपयोग होने पर तहबाजारी की उपरोक्त दरें दुगनी हो जायेगी।
6. उपनियम संख्या 7 का पालन कर बने लकड़ी के फड़ स्टाल या बूथ के लिये दरों की अनुसूची के क्रम संख्या 11 के अनुसार प्रतिदिन की दरों पर तहबाजारी मासिक रुप में वसूल की जा सकेगी।

ह0 (अस्पष्ट)
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, बनबसा,
जनपद चम्पावत।

ह0 (अस्पष्ट)
प्रशासक,
नगर पंचायत, बनबसा,
जनपद चम्पावत।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 हिन्दी गजट/118–भाग 8–2016 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।